

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या \*111  
13 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट (वीआईएसएल) को बंद किया जाना

\*111. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट (वीआईएसएल) भद्रावती को बंद करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने कर्नाटक के एकमात्र इस्पात संयंत्र के उत्थान के लिए कोई कदम उठाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी) को बंद किए जाने के संबंध में श्री जी.सी. चन्द्रशेखर, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*111 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार ने अक्टूबर, 2016 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। बाद में चयनित बोलीदाताओं द्वारा रणनीतिक विनिवेश हेतु आगे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण, सक्षम प्राधिकारी ने विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को रद्द करने का अनुमोदन प्रदान किया था और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश दिया तथा इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 14.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सूचित किया गया है। तदनुसार, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 31.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

(ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती के उन्नयन के लिए नई उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध करवा कर बहुत-सी नई पहलें शुरू की थीं। 1989 में वीआईएसएल सेल की एक सहायक कंपनी बनी, तब से लेकर अब तक संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 316 करोड़ रुपये का रहा है।

संस्थापित तथा शुरू की गई कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

- i) 530 सीयूएम ब्लास्ट फर्नेस
- ii) कोक बंकर हीटिंग प्रणाली
- iii) 2 पिग कास्टिंग मशीन प्रत्येक 300 टी
- iv) 4 लेडल रिफाइनिंग फर्नेस प्रत्येक 22 टी
- v) स्टील मेल्टिंग शॉप में 1,25,000 टीपीए की क्षमता वाला ब्लूम कास्टर
- vi) प्राइमरी मिल के लिए 30 टीपीएच पुशर टाईप री-हीटिंग फर्नेस
- vii) क्लेरिफाइड वाटर प्लांट, आदि

कर्नाटक के बेल्लारी जिले में खान मंत्रालय की दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना के माध्यम से लौह अयस्क खदानों के 140 हेक्टेयर के एक खनन पट्टे के आवंटन के लिए भी प्रयास किए गए थे, जो मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण प्रचालनशील नहीं हो सके। यह मामला अभी तक अनिर्णीत है।

\*\*\*\*\*